क्रम-संख्या—264

रजि० नं० एल. डब्लू. /एन. पी. 890

लाइसेन्स नं० डब्लू. पी०–41

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, मंगलवार, 17 सितम्बर, 2002

भाद्रपद 26, 1924 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग–1

संख्या 1768/सत्रह–वि–1–1 (क)29-2002

लखनऊ, 17 सितम्बर, 2002

अधिसूचना

विविध

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 2002 पर दिनांक 13 सितम्बर, 2002 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17 सन् 2002 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, 2002

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17 सन् 2002)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ।]

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, 2002 कहा जायेगा।

(2) यह 24 दिसम्बर, 2001 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

28

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7 सन् 1972 की धारा 2 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 की उपधारा (1) में अंक तथा शब्द "31 दिसम्बर, 2001 तक" के स्थान पर अंक तथा शब्द "31 मार्च, 2003 तक" रख दिये जायेंगे।

वैधीकरण

3—शंकाओं के निराकरण के लिए एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि किसी मण्डी समिति, उसके सभापति और उपसभापति के अधिकार, कृत्य और कर्तव्य जो पहली जनवरी, 2002 के ठीक पूर्व मूल अधिनियम की धारा 2 के अधीन सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट में निहित थे ऐसे जिला मजिस्ट्रेट में विधिमान्यतः निरन्तर इस प्रकार निहित समझे जायेंगे और पहली जनवरी, 2002 को या उसके पश्चात् किसी भी समय जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उक्त अधिकारों के प्रयोग, कृत्यों के सम्पादन और कर्तव्यों के पालन में कृत कोई कार्य या कार्यवाही विधिमान्य समझी जायेगी, मानो इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

निरसन और अपवाद

4—(1) उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, 2001 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 25 सन् 2001

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, धारा 1 में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा-संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,
आर० बी० राव,
सचिव।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, 1997 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 1997) द्वारा उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7 सन् 1972) में संशोधन करके यह व्यवस्था की गयी कि 31 दिसम्बर, 1998 तक या उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 की धारा 13 के अधीन निर्वाचित मण्डी समिति का संगठन होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, मण्डी समितियों के अधिकारों का प्रयोग, कृत्यों का सम्पादन और कर्तव्यों का पालन राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट ग्यारह सदस्यीय तदर्थ समिति द्वारा और ऐसी तदर्थ समिति के नाम-निर्देशन तक मण्डी समितियों, उनके सभापति और उप सभापति के सभी अधिकारों का प्रयोग, कृत्यों का सम्पादन और कर्तव्यों का पालन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किया जायगा। उक्त अवधि को उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, 1999 द्वारा 31 दिसम्बर, 1998 से बढ़ाकर 31 दिसम्बर, 2000 और उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा दिनांक 31 दिसम्बर, 2000 से 31 दिसम्बर, 2001 तक किया गया था।

चूंकि, उपर्युक्त व्यवस्था 31 दिसम्बर, 2001 को समाप्त होने वाली थी और मण्डी समितियों के चुनाव सम्पन्न नहीं कराये जा सके थे, अतः यह विनिश्चय किया गया कि वर्ष 1972 के उक्त अधिनियम को संशोधित कर उक्त व्यवस्था की अवधि 31 दिसम्बर, 2002 तक बढ़ा दी जाय।

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था, अतः उक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिए उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, 2001 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 25 सन् 2001) श्री राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया था। उक्त अध्यादेश संख्या 25 सन् 2001 दिनांक 08 मार्च, 2002 के, जब संसद के सत्र में रहते हुए प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की गयी थी, छः सप्ताह की समाप्ति के पश्चात् व्यपगत हो गया था।

अब यह विनिश्चय किया गया है कि उपर्युक्त व्यवस्था के कार्यकाल का विस्तार 31 मार्च, 2003 तक करने और 1 जनवरी, 2002 को या उसके पश्चात् जिला मजिस्ट्रेट द्वारा कृत कार्यों और कार्यवाहियों को विधिमान्य करने के लिए वर्ष 1972 के उपर्युक्त अधिनियम को संशोधित किया जाय।

तद्नुसार उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 2002 पुरःस्थापित किया जाता है।

No. 1768 (2)/XVII-V-1-1–(KA) 29-2002

Dated Lucknow : September 17, 2002

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Samiti (Alpakalik Vyawastha) (Sanshodhan), Adhiniyam, 2002 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 17 of 2002) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on September 13, 2002:–

THE UTTAR PRADESH KRISHI UTPADAN MANDI SAMITIS (ALPAKALIK VYAVASTHA) (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2002

(U.P. ACT NO. 17 OF 2002)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Samitis (Alpakalik Vyavastha) Adhiniyam, 1972.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-third Year of the Republic of India as follows:–

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Samitis (Alpakalik Vyavastha) (Sanshodhan) Adhiniyam, 2002.

(2) It shall be deemed to have come into force on December 24, 2001.

Amendment of section 2 of U.P. Act no. 7 of 1972

2. In section 2 of the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Samitis (Alpakalik Vyavastha) Adhiniyam, 1972, hereinafter referred to as the principal Act, in sub-section (1) *for* the words and figures "till December 31, 2001" the words and figures "till March 31, 2003" shall be *substituted*.

Validation

3. For the removal of doubts, it is hereby declared that the powers, functions and duties of a Market Committee, its Chairman and Vice-Chairman, vested in the District Magistrate concerned under section 2 of the principal Act immediately before January 1, 2002, shall be deemed to have validly continued to be so vested in such District Magistrate and anything done or any action taken by the District Magistrate in exercise, performance and discharge of the said powers, functions and duties at any time on or after January 1, 2002, shall be deemed to be valid as if the provisions of the principal Act as amended by this Act were in force at all material times.

Repeal and saving

U.P. Ordinance no. 25 of 2001

4. (1) The Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Samitis (Alpakalik Vyavastha) (Sanshodhan) Adhyadesh, 2001 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all meterial times.

By order,
R.B. RAO,
Sachiv.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Samitis (Alpakalik Vyavastha) Adhiniyam, 1972 (U.P. Act no. 7 of 1972) was amended by the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Samitis (Alpakalik Vyavastha) (Sansodhan) Adhiniyam, 1997 (U.P. Act no. 5 of 1997) to provide that till December 31, 1998 or until the constitution of an elected Mandi Samiti under section 13 of the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Adhiniyam, 1964 whichever is earlier, all powers, functions and duties of the Market Committees shall be exercised, performed and discharged by an eleven member *ad-hoc* Committee to be nominated by the State Government and until the nomination of such *ad-hoc* Committee, all powers, functions and duties of a Market Committee, its Chairman and Vice-Chairman shall be exercised, performed and discharged by the District Magistrate. The said period was extended from December 31, 1998 to December 31, 2000 by the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Samitis (Alpakalik Vyavastha) (Sanshodhan) Adhiniyam, 1999, and from December 31, 2000 to December 31, 2001 by the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Samitis (Alpakalik Vyavastha) (Sanshodhan) Adhiniyam, 2001.

Since the aforesaid arrangement was to expire on December 31, 2001 and the election of Market Committees could not be held, it was decided to extend the period of the said arrangement till December 31, 2002 by amending the said Adhiniyam of 1972.

Since the State Legislature was not in session the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Samitis (Alpakalik Vyavastha) (Sanshodhan) Adhyadesh, 2001, (U.P. Ordinance no. 25 of 2001) was promulgated by the Governor on December 24, 2001 to implement the aforesaid decision. The said Ordinance no. 25 of 2001 was lapsed after expiry of six weeks from March 8, 2002 the date of proclamation of President's rule in the State and the Parliament being in session.

It has now been decided to amend the aforesaid Act of 1972 to extend the term of the aforesaid arrangement till March 31, 2003 and to validate the things done and actions taken by the District Magistrates on or after January 1, 2002.

The Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Samitis (Alpakalik Vyavastha) (Sanshodhan) Vidheyak, 2002 is introduced accordingly.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 598 राजपत्र (हि०)–2002–(1372)–597 (कम्प्यूटर/आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 170 सा० विधायी–2002–(1373)–850–(कम्प्यूटर/आफसेट)।